फैक्स/ ई-मेल

सर्वोच्च प्राथमिकता/ अति महत्वपूर्ण /पुलिस आयुक्त प्रणाली

संख्या- 8 /2020/ 55 पी/छः-पु-6-2020-01विविध /2020

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

गृह पुलिस अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2020

विषयः प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन (लखनऊ-नगर एवं गौतमबुद्ध नगर) के संबंध में निर्गत अधिसूचनाओं का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-डीजी-1/28 (1)/2020 दिनांक 11-01-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रभावी पुलिस व्यवस्था बनाने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ करने के संबंध में पुलिस आयुक्त प्रणाली **(लखनऊ-नगर एवं गौतमबुद्ध नगर)** लागू किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन **(लखनऊ-नगर एवं गौतमबुद्ध नगर)** के संबंध में सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त निम्नवत् अधिसूचनाएं निर्गत की गयी है:-

क्र0सं0	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1.	संख्या- 4 /2020/ 50 पी/छः-पु-6-2020-01विविध /2020 दिनांक 13 जनवरी, 2020
2.	संख्या- 5 /2020/ 51 पी/छः-पु-6-2020-01विविध /2020 दिनांक 13 जनवरी, 2020
3.	संख्या- 6 /2020/ 52 पी/छः-पु-6-2020-01विविध /2020 दिनांक 13 जनवरी, 2020
4.	संख्या- 7 /2020/ 53 पी/छः-पु-6-2020-01विविध /2020 दिनांक 13 जनवरी, 2020

3- कृपया उक्त निर्गत अधिसूचनाओं से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से समय-समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

4- **उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश में प्रथम बार लागू की जा रही है। अत: नवीन व्यवस्था में शामिल शहरों का शान्ति व कानून व्यवथा, अपराध नियंत्रण, महिला अपराध नियंत्रण व यातायात प्रबन्धन आदि पर प्रत्येक 6 माह में समीक्षा की जायेगी एवं नयी व्यवस्था का मूल्यांकन किया जायेगा।**

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

H Go dec

संख्या- 8 /2020/ 55 (1) पी/छः-पु-6-2020- 01 विविध/ 2020 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त निर्गत अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(यह अधिसूचना गृह विभाग की बेवसाइट http://uphome.gov.in एवं http://shasanadesh.up.gov.in/ पर भी अवलोकनीय है)

1. **समस्त** अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, कारागार प्रशासन/ अग्निशमन सेवाएं उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक/वित्त नियंत्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
5. **समस्त** अपर पुलिस महानिदेशक, **मुख्यालय** पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. **समस्त** मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. **समस्त** अपर पुलिस महानिदेशक, **(जोन)** / पुलिस महानिरीक्षक- पुलिस उपमहानिरीक्षक **(रेंज)** उत्तर प्रदेश।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9. जनपद स्तर के **समस्त** अधिकारी **(द्वारा** जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक)
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
12. न्याय अनुभाग-6/ विधायी अनुभाग /भाषा अनुभाग-5 / गृह पुलिस व गोपन, कारागार व वीजा के समस्त अनुभाग, उ0प्र0शासन।
13. **गृह (पुलिस सेवाएं-1/2)** उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही समयबद्व रूप से सुनिश्चित कराने एवं इस अनुभाग को भी समय-समय पर सूचित करने का कष्ट करें।
14. मीडिया सेल, गृह विभाग।
15. अनुभाग अधिकारी, **गृह नियंत्रण कक्ष**, उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियां **विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने** तथा सर्वसंबंधित को **फैक्स/ ई-मेल** कराने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
विशेष सचिव।

M Go dec

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या- 4 /2020/ 50 पी/छः-पु-6-2020-01 विविध/2020

लखनऊ: 13 जनवरी, 2020

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का उपान्तरण करके राज्यपाल, निदेश देती हैं कि लखनऊ जिला पुलिस का पुनर्गठन, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे यथा उल्लिखित विवरण वाले पुलिस थानों सहित दो पुलिस जिलों यथा लखनऊ (नगर) और लखनऊ (ग्रामीण) के रूप में किया जायेगा।

लखनऊ (नगर) के अधीन आने वाले पुलिस थानें		
1. आलमबाग	16. हजरत गंज	31. ठाकुरगंज
2. अलीगंज	17. हुसैन गंज	32. विभूति खंड
3. अमीनाबाद	18. इंदिरानगर	33. विकास नगर
4. आशियाना	19. जानकीपुरम	34. वजीर गंज
5. बाजारखाला	20. कैसरबाग	35. काकोरी
6. बंथरा	21. कृष्णानगर	36. नगराम
7. चौक	22. महानगर	37. महिला थाना
8. कैंट	23. मानक नगर	38. मोहनलाल गंज
9. चिनहट	24. मड़ियांव	39. सुशांत गोल्फसिटी
10. गोमती नगर	25. नाका	40. गोमती नगर विस्तार
11. गुडम्बा	26. पारा	
12. गाजीपुर	27. पीजीआई	
13. गौतमपल्ली	28. सआदतगंज	
14. गोसाई गंज	29. सरोजनी नगर	
15. हसन गंज	30. तालकटोरा	

लखनऊ (ग्रामीण) के अधीन आने वाले पुलिस थानें
1. बक्शी का तालाब 2. इटौंजा 3. मलिहाबाद 4. निगोहा 5. माल

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या- 5 /2020/ 51 पी/छ:-पु-6-2020-01 विविध/2020

लखनऊ: 13 जनवरी, 2020

अधिसूचना

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्रमशः नीचे यथा प्रदत्त अनुसूची-एक और अनुसूची-दो में उल्लिखित अधिकारियों सहित लखनऊ (नगर) और गौतमबुद्ध नगर पुलिस जिलों के लिये पुलिस आयुक्त के पदों का गठन करती हैं।

अनुसूची-एक

लखनऊ (नगर) के लिए राजपत्रित अधिकारियों के पद

पदनाम	रैंक	पे-मैट्रिक्स-लेवल	विवरण	पदों की संख्या
पुलिस आयुक्त	पुलिस महानिरीक्षक अथवा उच्चतर रैंक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 14 (रू0 1,44,200-2,18,200)		1
संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस महानिरीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 13क (रू0 1,31,100-2,16,600)	कानून-व्यवस्था	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस महानिरीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 13क (रू0 1,31,100-2,16,600)	मुख्यालय	1
पुलिस उप आयुक्त	पुलिस अधीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 12 (रू0 78,800-2,09,200)	परिक्षेत्र	5
			यातायात	1
			अपराध	1
			मुख्यालय	1
			अभिसूचना व सुरक्षा	1
			महिला अपराध	1
			योग	**10**
अपर पुलिस उप आयुक्त	अपर पुलिस अधीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 12 (रू0 78,800-2,09,200)	स्टाफ आफिसर	1
			परिक्षेत्र	5
			कानून व्यवस्था	1
			यातायात	1
			अपराध	1
			मुख्यालय	1
			अभिसूचना	1
			सुरक्षा	2
			योग	**13**
सहायक पुलिस आयुक्त	पुलिस उपाधीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 10 (रू0 56,100-1,77,500)	क्षेत्र	14
			कानून व्यवस्था	1
			यातायात	3

			अपराध	2
			लाइन्स	1
			लेखा व कार्यालय	2
			अभिसूचना	1
			सुरक्षा	2
			महिला अपराध	2
			योग	**28**
सहायक रेडियो अधिकारी	सहायक रेडियो अधिकारी	पे-मैट्रिक्स-लेवल - 10 (रू0 56,100-1,77,500)		1
मुख्य अग्निशमन अधिकारी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	पे-मैट्रिक्स-लेवल - 10 (रू0 56,100-1,77,500)		1
			कुल योग	**56**

अनुसूची-दो

गौतमबुद्ध नगर के लिए राजपत्रित अधिकारियों के पद

पदनाम	रैंक	वेतनमान	विवरण	पदों की संख्या
पुलिस आयुक्त	पुलिस महानिरीक्षक या उच्चतर रैंक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 14 (रू0 1,44,200-2,18,200)		1
अपर पुलिस आयुक्त	पुलिस उप महानिरीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 13क (रू0 1,31,100-2,16,600)	कानून-व्यवस्था	1
अपर पुलिस आयुक्त	पुलिस उप महानिरीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 13क (रू0 1,31,100-2,16,600)	मुख्यालय	1
पुलिस उप आयुक्त	पुलिस अधीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल 12 (रू0 78,800-2,09,200)	परिक्षेत्र	3
			अपराध	1
			यातायात	1
			मुख्यालय	1
			महिला अपराध	1
			योग	**7**
अपर पुलिस उप आयुक्त	अपर पुलिस अधीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल -12 (रू0 78,800-2,09,200)	स्टाफ आफिसर	1
			परिक्षेत्र	3
			कानून-व्यवस्था	1
			अपराध	1
			यातायात	1
			मुख्यालय	1
			अभिसूचना व सुरक्षा	1
			योग	**9**
सहायक पुलिस आयुक्त	पुलिस उपाधीक्षक	पे-मैट्रिक्स-लेवल - 10 (रू0 56,100-1,77,500)	क्षेत्र	10
			कानून-व्यवस्था	1
			अपराध	1
			यातायात	1

			लाइन्स	1
			लेखा व कार्यालय	1
			महिला अपराध	2
			योग	**17**
सहायक रेडियो अधिकारी	सहायक रेडियो अधिकारी	पे-मैट्रिक्स-लेवल - 10 (रू0 56,100-1,77,500)		1
मुख्य अग्निशमन अधिकारी	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	पे-मैट्रिक्स-लेवल - 10 (रू0 56,100-1,77,500)		1
			कुलयोग	**38**

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या- 6 /2020/ 52 पी/छः-पु-6-2020-01 विविध/2020

लखनऊ: 13 जनवरी, 2020

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि लखनऊ (नगर) और गौतमबुद्ध नगर जिलों के क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से महानगरीय क्षेत्र होंगे।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या- 7 /2020/ 53 पी/छ:-पु-6-2020-01 विविध /2020

लखनऊ: 13 जनवरी, 2020

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा- 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के संबंध में पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों तथा जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त करती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन राज्यपाल अग्रतर आदेशों तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या दो सन् 1974) की धारा-58, अध्याय आठ तथा अध्याय दस के प्रयोजनों के लिए लखनऊ (नगर) और जिला गौतमबुद्ध नगर में तैनात संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त,अपर उप पुलिस आयुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां प्रदत्त करती हैं।

अनुसूची

1. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971)
2. विष अधिनियम, 1919
3. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
4. पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922
5. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
6. विस्फोटक अधिनियम, 1884
7. कारागार अधिनियम, 1894
8. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923
9. विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946
10. गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967
11. पुलिस अधिनियम, 1861
12. उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944
13. उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005
14. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।